ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00179

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 41/2020

1. गुरपाल राम पुत्र श्री मोतीराम जाति मेघवाल
2. अशोक कुमार पुत्र श्री कृष्णराम जाति मेघवाल
3. बलजीत सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति बांवरी
4. मलकीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति कुम्हार

निवासी गांव बादल ग्राम पंचायत बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. अमरवीर सिंह पुत्र रधुवीर सिंह
2. हरजीवन पुत्र श्री रधुवीर सिंह
3. जगतपाल सिंह पुत्र जीत सिंह
4. रधुवीर सिंह पुत्र बलवीर सिंह
5. हरजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह
6. जसवीर सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह

साकिन गांव बादल तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब)

7. पवनप्रीत पुत्र श्री जसवीर सिंह
8. रमनप्रीत कौर पुत्री श्री जसवीर सिंह
9. प्रभेजीत कोर पत्नी श्री जसवीर सिंह
10. जगदीप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
11. परमजीत सिंह उफ लाली पुत्र श्री दलराज सिंह

साकिन गांव बादल तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसरसाहिब (पंजाब)

12. सरपंच ग्राम पंचायत बुधरवाली तहसील सादुलशहर
13. सरपंच ग्राम पंचायत हाकमाबाद तहसील सादुलशहर

गैरनिगरानीकर्ता

गैरमुमकिन आबादी भूमि के पट्टा संख्या सी–46 से सी–50 दिनांकित 25.03.1990 व पट्टे सी–40 से सी–44 दिनांकित 20.03.1984 व पट्टा संख्या डी–36,45,96 दिनांकित 20.12.1989 व मुरब्बा नम्बर 13 व 14 व 25 व 27 पर अवैध रूप से पट्टे जारी किये गये को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :–

1. श्री अनिरूद्व खालिया अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री विरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश ::

दिनांकः 26.03.2021

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत बुधरवाली के गांव 5 बी.एन.डब्ल्यू (चक बादल) जो कि ग्राम पंचायत बुधरवाली के वार्ड नम्बर 01 में स्थित है। उक्त चक के खाता संख्या 1/1 के मुरब्बा नम्बर 13,14, 27 व 28 में कुल 100 बीघा गैरमुमकिन आबादी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त गांव 5 बी.एन.डब्ल्यू. (चक बादल) पूर्व में ग्राम पंचायत हाकमाबाद की सीमा में आता था और उक्त निगरानीधीन भूमि के पट्टे भी ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा जारी किये गये है इसलिए ग्राम पंचायत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

हाकमाबाद को प्रभावी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। ग्राम पंचायत हाकमाबाद के सरपंच द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के साथ मिली भगत करके स्वयं को व गैरनिगरानीकर्ता को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने व ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाते हुए गैर निगरानीकर्ता को उक्त गैरमुमकिन आबादी भूमि में बिना किसी विधि प्रकिया को अपनाते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बहुत बड़े साईज के फर्जी पट्टे जारी कर दिये गये जो कि पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विरूद्व है। सभी गैरनिगरानीकर्ता गांव बादल तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब) के निवासी है कोई भी गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत हाकमाबाद व बुधरवाली तहसील सादुलशहर का निवासी नहीं है इसके बावजूद भी सरपंच ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा उक्त व्यक्तियों के नाम से अवैध रूप से पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत की भूमि को खुर्द-बुर्द किया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 6 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है और जिनको अलग-अलग पट्टे जारी किये गये है जबकि एक ही परिवार में परिवार के मुखिया व्यक्ति को एक ही पट्टा जारी किया जाता है जबकि उक्त गैरनिगरानीकर्ता एक ही व्यक्ति के पुत्र/पुत्री व पत्नि है। इसी प्रकार अन्य सभी गैरनिगरानीकर्ता वह भी एक ही परिवार के व रिश्तेदारी के सदस्य है। ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा उक्त गैरमुमकिन आबादी भूमि को वाटरवर्क्स व खेल का मैदान बनाने हेतू आरक्षित किया गया है और ग्राम पंचायत के सभी जागरूक नागरिक ग्राम पंचायत के विकास हेतू नेय आयाम स्थापित करने के लिए उक्त भूमि को आरक्षित रखना चाहते है ताकि भविष्य में ग्राम के विकास हेतू उक्त भूमि को उपयोग में लाया जा सकें। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1,6,11 द्वारा मिलकर के अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से जारी करवाये गये उक्त अवैध पट्टो की आड में उक्त गैरमुमकिन आबादी भूमि के लगभग 35 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे है ओर उक्त भूमि को कब्जा कर विक्रय करके स्वयं को अवैध लाभ पहुंचाना चाहते है और जिसमें 20 बीघा भूमि के चारो तरफ तारबन्दी करके कब्जा करना चाहते है और अब अवैध रूप से निर्माण कार्य करना चाहते है। उक्त भूमि पर खड़े हरे पड़ो को भी बिना किसी अनुमति के उखाड़कर बेच दिया गया है जिससे ग्राम पंचायत को लाखों रूपये का नुकसान पहुंचाया गया है। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण व समस्त ग्रामवासियों द्वारा श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी सादुलशहर व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,श्रीगंगानगर को जरिये प्रार्थना पत्र अवगत करवाया गया है ओर इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा दिनांक 05.07.2020 को उक्त अवैध कब्जा को हटाने का नोटिस दिया गया है इसके बावजूद गैरनिगरानीकर्तागण राजनैतिक प्रभाव होने के कारण गैर मुमकिन आबादी भूमि पर कब्जा करने के प्रयास से बाज नहीं आ रहे है अन्य भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है ओर उक्त भूमि को विक्रय कर स्वयं को अवैध लाभ पहुंचाना चाहते है। निगरानीधीन भूमि आरक्षित भूमि थी। निगरानीधीन भूमि का पट्टा बनाने व प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय पंचायत राज अधिनियम के विरूद्व, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया होने से पट्टे खारिज होने योग्य है। गैरनिगरानीकर्तागण ने सरपंच ग्राम पंचायत हाकमाबाद से साजिश करके उक्त गैरमुमकिन आबादी भूमि के अवैध रूप से पट्टे जारी करवा लिये गये और अब अवैध रूप से उक्त भूमि का कब्जा करने पर सरपंच ग्राम पंचायत बुधरवाली व निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्ता को उक्त अवैध पट्टे निरस्त करने का कहा। पंचायत समिति सादुलशहर व जिला परिषद श्रीगंगानगर में गैरनिगरानीकर्ता का प्रभाव व बोल-बाला है इसलिए पंचायत समिति व जिला परिषद से निगरानीकर्ता को इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अतः निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार किया जाकर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 13 वर्तमान में 12 द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 11 के पक्ष में पारित प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावें व समस्त नाजायज पट्टे निरस्त किये जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत बुधरवाली के गांव 5 बी.एन.डब्ल्यू (चक बादल) जो कि ग्राम पंचायत बुधरवाली के वार्ड नम्बर 01 में स्थित है। खाता संख्या 1/1 के मुरब्बा नम्बर 13,14, 27 व 28 में कुल 100 बीघा गैरमुमकिन आबादी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 5 बी.एन. डब्ल्यू. (चक बादल) पूर्व में ग्राम पंचायत हाकमाबाद की सीमा में आता था और उक्त निगरानीधीन भूमि के पट्टे भी ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा जारी किये गये है। इसलिए ग्राम पंचायत हाकमाबाद को प्रभावी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। ग्राम पंचायत हाकमाबाद के सरपंच द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के साथ मिली भगत करके स्वयं को व गैरनिगरानीकर्ता को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने व ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाते हुए गैरनिगरानीकर्ता को गैरमुमकिन आबादी भूमि में बिना किसी विधि प्रकिया को अपनाते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बहुत बड़े साईज के फर्जी पट्टे जारी कर दिये गये जो कि पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विरूद्व है। **सभी गैरनिगरानीकर्ता गांव बादल तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसरसाहिब (पंजाब) के निवासी है जिसके साक्ष्य के रूप में वर्ष 2021 की वोटरलिस्ट की प्रति पेश है एवं निगरानी में भी गैरनिगरानीकर्ता का पता पंजाब का है जिनकी तामिल भी पंजाब से हुई है।** गैरनिगरानीकर्तागण ग्राम पंचायत हाकमाबाद व बुधरवाली तहसील सादुलशहर का निवासी नहीं है। इसके बावजूद भी सरपंच ग्राम पंचायत हाकमाबाद द्वारा उक्त व्यक्तियों के नाम से अवैध रूप से पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत की भूमि को खुर्द-बुर्द किया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 6 ता 9 एक ही परिवार के सदस्य है और जिनको अलग-अलग पट्टे जारी किये गये है जबकि एक ही परिवार में परिवार के मुखिया व्यक्ति को एक ही पट्टा जारी किया जाता है गैरनिगरानीकर्ता एक ही व्यक्ति के पुत्र/पुत्री व पत्नि है। अन्य सभी गैरनिगरानीकर्ता भी एक ही परिवार के व रिश्तेदार है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1,6,11 द्वारा मिलकर अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से जारी करवाये गये अवैध पट्टो की आड़ में गैरमुमकिन आबादी भूमि के लगभग 35 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे है ओर उक्त भूमि को कब्जा कर विक्रय करके स्वयं को अवैध लाभ पहुंचाना चाहते है। निगरानीधीन भूमि आरक्षित भूमि थी। ग्राम पंचायत बुधरवाली द्वारा उक्त गैरमुमकिन आबादी भूमि को वाटरवर्क्स व खेल का मैदान बनाने हेतू आरक्षित किया गया है। निगरानीधीन भूमि का पट्टा बनाने व प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय पंचायत राज अधिनियम के विरूद्व, क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया होने से पट्टे खारिज होने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किया जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 13 वर्तमान में 12 द्वारा गैरनिगरानी कर्ता संख्या 1 ता 11 के पक्ष में पारित प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावें व समस्त नाजायज पट्टे निरस्त किये जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरनिगरानीकता गण महाराजा गंगासिंह जी के द्वारा गंगानगर बसाया गया उस वक्त से निवास कर रहे है। गैरनिगरानीकर्तागण की जमीन पंजाब में भी है एवं राजस्थान में भी है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में जिन पट्टो के विरूद्व निगरानी पेश की गई है वह वर्ष 1985 से 1990 के बीच में जरिये निलामी क्रय किये गये है। प्रथमदृष्टया निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी 30-35 वर्ष पूर्व जारी पट्टो के विरूद्व निगरानी पेश की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गई जो मियाद से बाहर है। निगरानीकर्ता की निगरानी मियाद के बिन्दू पर खारिज फरमाई जावें। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी जो प्रस्तुत की गई है वह एक पट्टे के विरूद्व पेश ना की जाकर गैरनिगरानीकर्तागण संख्या 01 ता 11 के विरूद्व एक ही निगरानी पेश की गई जो निगरानीकर्ता पेश नहीं कर सकता है। जहां तक पंजाब में निवास का सम्बन्ध है मेरी सम्पति पंजाब में भी है मै पंजाब भी रहने का हकदार हूँ। गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अवैध पट्टे जारी नहीं करवाये गये है बल्कि विधिसम्मत् तरीके से निलामी में क्रय किये गये है। निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी चुनावी रंजिश के कारण पेश की है। अतः मय हर्जाना खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य बिन्दु यह अंकित किया है कि गैरनिगरानीकर्तागण पंजाब के निवासी है एवं एक ही परिवार के व्यक्तियों को पट्टे जारी करवाये गये है। गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा राजस्थान में निवास के सम्बन्ध में चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटरलिस्ट की प्रति पेश की है जिसमें उनका नाम अंकित है एवं साथ ही उनकी पंजाब में जद्दी जमीन होने के कारण अस्थाई रूप से पंजाब में निवास होना बताया है। गैरनिगरानीकर्तागण को पट्टे जारी किये गये है वह निलामी द्वारा निलामी स्वीकृत होने पर निर्धारित राशि जमा करवाई जाकर क्रय किये गये है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाती है। निगरानी प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.11.2020 इसी आदेश में मर्ज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)